CENTRE FOR AMBITION
(An Institute for Civil Services)

Current Affairs
June-2018
Vol.-II

निवारक निरोध पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी

संदर्भ

हाल ही में तेलंगाना के एक बीज निर्माता को अधिकारियों द्वारा 'निवारक निरोध' कानून के तहत हिरासत में लिया गया, क्योंकि वह गरीब किसानों को नकली मिर्च के बीज बेच रहा था। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को, राज्य द्वारा एक 'गुंडा' करार देकर तथा सामान्य कानूनी प्रक्रिया को 'अप्रभावी' और 'ज़्यादा समय' लेने वाली बताकर निवारक निरोध के तहत हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अगर कोई एसा करता है तो यह गैरकानूनी होगा।-

महत्वपूर्ण बिंदु

- कोर्ट ने यह माना कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना 'नागरिक स्वतंत्रता' को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मामला होता है।
- न्यायालय का मानना है कि अगर सामान्य कानूनों के तहत पर्याप्त उपाय उपलब्ध हों तो राज्य को 'निवारक निरोध' का सहारा लेने से बचना चाहिये।
- किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत हिरासत में रखना प्राधिकारी की व्यक्तिगत संतुष्टि पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 14,19, 21 और 22 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
- निवारक निरोध एक सांविधिक शक्ति)statutory power) है, अतः इसका प्रयोग कानून की सीमाओं के भीतर रहकर ही किया जाना चाहिये।

क्या है निवारक निरोध?

- 'निवारक निरोध', राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिये हिरासत में ले सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को 'निवारक निरोध' के तहत गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त 'गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण' का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- किसी व्यक्ति को 'निवारक निरोध' के तहत केवल चार आधारों पर गिरफ्तार किया जा सकता है:
  1. राज्य की सुरक्षा।
  2. सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना।
  3. आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति और रखरखाव तथा रक्षा।
  4. विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा।

निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अनुच्छेद-19 तथा अनुच्छेद-21 के तहत प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ प्राप्त नहीं होंगी।

गोपाबंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना

गोपाबंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए पत्रकारों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने "गोपाबंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना" नामक योजना शुरू की। पहले चरण में, 3,233 कार्यरत पत्रकारों को सालाना 2 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पत्रकार परिवार के कम से कम पांच सदस्यों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।

मुख्य तथ्य

1. गोपाबंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना 1 जून, 2018 से लागू हुई है और शुरुआत में लगभग 3200 पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न मीडिया समूहों से कवर किया जाएगा।

2. बीमा कवरेज सरकारी और निजी अस्पतालों में नकदी रहित उपचार के लिए लागू होगी।
3. इस योजना में पत्रकारों द्वारा उनकी कर्तव्यों का पालन करते समय चोटों और बीमारियों को भी शामिल किया जाएगा।

योजना का नाम

इस योजना का नाम गोपालबंधु दास)1877-19 28) के नाम पर एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार, कवि और ओडिशा के निबंधक के नाम पर रखा गया है। ओडिशा में कला, संस्कृति और समाज में उनके योगदान ने उन्हें उत्कलमनी का प्रतीक अर्जित किया। राज्य में पत्रकारिता में उनका (ओडिशा के गहने) योगदान छोटा लेकिन उल्लेखनीय था।1 9 10 के दशक में, उन्होंने सत्यबाई नामक एक मासिक साहित्यिक पत्रिका लॉन्च की थी जिसके माध्यम से उन्होंने जनता को शिक्षित करने की कोशिश की थी।

इस योजना का नाम गोपालबंधु दास)1877-19 28) के नाम पर एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार, कवि और ओडिशा के निबंधक के नाम पर रखा गया है। ओडिशा में कला, संस्कृति और समाज में उनके योगदान ने उन्हें उत्कलमनी का प्रतीक अर्जित किया। राज्य में पत्रकारिता में उनका (ओडिशा के गहने) योगदान छोटा लेकिन उल्लेखनीय था।1 9 10 के दशक में, उन्होंने सत्यबाई नामक एक मासिक साहित्यिक पत्रिका लॉन्च की थी जिसके माध्यम से उन्होंने जनता को शिक्षित करने की कोशिश की थी।

ओडिशा गोपाबंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना

1. गोपाबंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य के मीडिया लोगों के लिए कल्याणकारी योजना है।
2. पहले चरण में, इस स्वास्थ्य बीमा योजना में 3,233 कार्यरत पत्रकार शामिल होंगे।
3. सभी कामकाजी मीडिया व्यक्तियों को 2 लाख रु प्रति वर्ष बीमा कवरेज मिलेगा।
4. पत्रकार परिवार के कम से कम 5 सदस्य ओडिशा स्वास्थ्य बीमा योजना 2018 के तहत कवर किए जाएंगे।
5. यह योजना पत्रकारों द्वारा उनके कर्तव्यों का पालन करते समय चोटों का सामना करने के लिए बीमारी / शुरू की गई है।

पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड 2018

सभी पत्रकार नए स्वास्थ्य बीमा कार्ड के उपयोग के साथ गोपाबंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ उठा सकते हैं। सभी मीडिया व्यक्ति) ना और जनसंपर्क अधिकारीअपने संबंधित जिलों में जिला सूच (शास्त्री)DIPRO) से अपना हेल्थ कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

गोपाबंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पत्रकारों से बातचीत की। मीडिया भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसे बनाए रखा जाए। मुख्यमंत्री पत्रकारों को प्रोत्साहित करते हैं और समाज में उनके योगदान के लिए उनके प्रयासों की भी सराहना करते हैं। मुख्यमंत्री भी पत्रकारों के मुक्त प्रेस और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता बनाते हैं।

कावेरी प्रबंधन योजना और कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण

- सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी नदी के तट पर स्थित दक्षिण भारत के 4 राज्यों के बीच सुगम तरीके से जल बँटवारा सुनिश्चित करने के लिये कावेरी प्रबंधन योजना संबंधी केंद्र सरकार के मसौदे को मंज़ूरी दे दी।
- केंद्र सरकार की ओर से जब केंद्रीय जल संसाधन सचिव ने यह मसौदा पीठ को सौंपा था, तब पीठ ने इसका अवलोकन कर मंज़ूरी देने की बात कही थी।
- इस योजना के बारे कर्नाटक और केरल सरकार ने कुछ सुझाव दिये थे, जिन्हें ठोस वज़ह के अभाव में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए चंद्रचूड की .वाई.खानविलकर और डी .एम.3 सदस्यीय खंडपीठ ने अस्वीकार कर दिया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी नदी जल बँटवारे के लिये कावेरी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु 16 फरवरी के आदेश का पालन न करने को लेकर केंद्र सरकार से नाराज़गी जताई थी।

न्यायालय का अंतिम फैसला

- अपने निर्णय में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 2007 के अवार्ड में संशोधन करने के साथ ही स्पष्ट किया था कि इसके लिये अब किसी भी आधार पर समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।-
- उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में केंद्र सरकार से कहा था कि कर्नाटक से तमिलनाडु, केरल और पुद्दूचेरी को पानी देने के लिये कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन करने के साथ कावेरी प्रबंधन योजना करे। योजना को अंतिम रूप मिल जाने के बाद कावेरी नदी बेसिन में सामान्य और कम वर्षा जैसी विभिन्न परिस्थितियों से निपटने का काम कावेरी प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा
- पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले में संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अवार्ड को कावेरी प्रबंधन योजना के तहत अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचाना होगा।

कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना और कार्य

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले को लागू कराने के लिये कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण एकमात्र निकाय होगा, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा।
- इसकी सहायता के लिये बंगलूरू स्थित एक विनियमन समिति भी होगी। प्रशासनिक सलाह देने के अलावा केंद्र में इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। अर्थात् यह एक द्विस्तरीय संरचना होगी-, जिसमें न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये एक शीर्ष निकाय होगा और एक विनियमन समिति होगी, जो क्षेत्र की स्थिति और जल प्रवाह की निगरानी करेगी।
- प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य काफी व्यापक हैं, जिनमें कावेरी जल का विभाजन, विनियमन और नियंत्रण, जलाशयों के संचालन की निगरानी और जल निस्तारण का विनियमन आदि शामिल हैं।
- मसौदे के अनुसार इस प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- हालाँकि इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि प्राधिकरण महसूस करता है कि संबद्ध राज्यों में से कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है तो यह केंद्र से सहायता लेगा और ऐसे में केंद्र का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

कुछ अंतर है

- कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने जिस प्रकार के कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की बात कही थी उसमें और कावेरी प्रबंधन योजना में प्रस्तावित प्राधिकरण के बीच कुछ अंतर है।
- न्यायाधिकरण ने इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के लिये जल संसाधन प्रबंधन में कम कम-से-20 वर्ष के अनुभव के साथ सिंचाई इंजीनियर होने की बात कही थी, जबकि योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि इसका अध्यक्ष जल संसाधन प्रबंधन में व्यापक अनुभव वाला वरिष्ठ प्रतिष्ठित इंजीनियर हो सकता है या केंद्र सरकार का कोई सचिव या अतिरिक्त सचिव।
- इसी प्रकार मसौदे में यह भी कहा गया है कि चार राज्यों के प्रतिनिधि न्यायाधिकरण द्वारा प्रस्तावित इंजीनियरों के बजाय प्रशासक भी हो सकते हैं।
- कर्नाटक और तमिलनाडु इस प्राधिकरण के प्रशासनिक खर्चों का 40-40% वहन करेंगे तथा केरल का 15% और पुद्दूचेरी का योगदान 5% होगा।

सर्वोच्च न्यायालय में दी गई थी चुनौती

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा 2007 में दिये गए फैसले के खिलाफ कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल द्वारा दायर याचिकाओं पर अंतिम फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कर्नाटक की हिस्सेदारी में 14.75 टीएमसी फुट वृद्धि की थी, जिसमें से बंगलूरू को 4.75 टीएमसी फुट पानी दिया जाना है, जबकि कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू मंड्या ज़िले में स्थित कावेरी नदी से 120 किलोमीटर दूर है। तमिलनाडु को

मिलने वाले पानी को 192 टीएमसी फुट से घटाकर 177.25 टीएमसी फुट करते हुए पीठ ने कहा था कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु में नदी के बेसिन में उपलब्ध भूजल पर ध्यान नहीं दिया था।-

क्या है कावेरी विवाद?

- कावेरी नदी के जिस पानी को लेकर विवाद है उसका उद्गम स्थल कर्नाटक के कोडागु ज़िले में है। लगभग 750 किलोमीटर लंबी ये नदी कुशालनगर, मैसूर, श्रीरंगपत्तना, त्रिरुचिरापल्ली, तंजावुर और मइलादुथुरई शहरों से गुज़रती हुई तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- इसके बेसिन में कर्नाटक का 32 हज़ार वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 44 हज़ार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है और इन दोनों राज्यों के बीच सिंचाई के लिये पानी की ज़रूरत को लेकर दशकों से विवाद चलता आ रहा है।

न्यायाधिकरण ने ऐसे किया था जल बँटवारा

- 1892 में तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर रियासत के बीच जल बँटवारा समझौता इस विवाद को सुलझाने का सर्वप्रथम प्रयास माना जाता है।
- इसकी परिणति जून 1990 में तब हुई जब केंद्र सरकार ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया, जिसने 16 साल की सुनवाई के बाद 2007 में प्रतिवर्ष 419 अरब क्यूबिक फीट पानी तमिलनाडु को और 270 अरब क्यूबिक फीट पानी कर्नाटक को देने का फैसला दिया।
- केरल को 30 अरब क्यूबिक फीट और पुद्दूचेरी को 7 अरब क्यूबिक फीट पानी देने का फैसला दिया गया।
- कावेरी बेसिन में 740 अरब क्यूबिक फीट पानी मानते हुए न्यायाधिकरण ने यह फैसला दिया था।
- कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही न्यायाधिकरण के इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की थी।

मुश्किल होगा सबको खुश रखना

कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इतनी कटुता व्याप्त हो चुकी है कि कोई भी फैसला दोनों पक्षों को संतुष्ट नहीं कर पाता। यह भी हो सकता है कि प्राधिकरण की प्रकृति और शक्तियों पर कर्नाटक और तमिलनाडु के अलगअलग विचार हों। लेकिन यह महत्त्वपूर्ण है कि चारों राज्य इस तंत्र को स्वीकार करें तथा - प्राधिकरण के पास पर्याप्त स्वायत्तता हो। कावेरी विवाद दशकों से जारी है और यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि कठोर निर्णयों के माध्यम से प्राप्त अंतिम निर्णय के कार्यान्वयन की निगरानी स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाती।

अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ)IATA)

अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ 120 देशों के 280 अनसूचित अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन्स का एक समूह है। इसका अंग्रेजी में पूरा नाम International Air Transport Association है। हम इसे एक तरह का लाइसेंस भी कह सकते है यह सरकार द्वारा जिस कंपनी को सरकार द्वारा अनुसूचित वायु सेवा प्रदान करने के लिये दिया जाता है। जिस कंपनी को यह लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। उसे ICAO की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। ICAO का काम 240 एयरलाइन्स का प्रतिनिधित्व करना है। इसके साथ ही ICAO कुल वायु ट्रैफिक का 84 प्रतिशत देखता है।

आईएटीए की स्थापना:

विश्व के पहले अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित वायु सेवा संगठन)International Air Traffic Association) का गठन 1919 में हेग,नीदरलैंड्स में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ)IATA) की स्थापना 19 अप्रैल 1945 को क्यूबा के हवाना में हुई थी। इसकी स्थपना अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संघ के उत्तरवर्ती संगठन के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना के समय 31 देशों से 57 एयरलाइंस शामिल किये गए थे। इसका मुख्यालय कनाडा के मोंट्रियल में स्थित है। इसका अन्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वर्तमान में यह संगठन 150 से अधिक देशों में व्याप्त है।

आईएटीए का कार्य:

अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्य कार्य अन्तरमलों में सहयोगवायु कंपनी मा- स्थापित करना है। इसके अलावा इसका काम लोगों को लाभ पहुंचाने के उदेश्य से सुरक्षित, निश्चित, विश्वसनीय तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य वायु सेवाएं सुनिश्चित करना। यह एयरकॉमर्स-कॉमर्स को प्रोत्साहित करने के साथ ही एयर- की सभी समस्याओं का अध्ययन करने का काम भी करती है। IATA के सदस्य एयरलाइंस ASM (Available Seat Mile) का लगभग 82% हवाई यातायात ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। IATA का काम उद्योग नीति और मानकों को तैयार करना भी है साथ ही IATA ने एयरलाइन गतिविधि का समर्थन किया है। IATA ने अपने कार्य की शुरुआत में ज्यादातर कार्य तकनीकी तरीके से किये थे। इसमें नए सिरे से किए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को (आईसीएओ) इनपुट प्रदान किया जाता था, जो कि शिकागो कन्वेंशन के समझौते से परिलक्षित किया गया था।

अन्य कार्य:

- IATA विमानन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परामर्श और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करता है।
- ट्रैवल एजेंट के लिए टिकट IATA उपलब्ध कराता है। जो एजेंटों को सदस्य एयरलाइनों की तरफ से टिकट बेचने की अनुमति देता है।
- सका काम बिलिंग और सेटलमेंट प्लान चलना भी है। जो कि 300 अरब डॉलर से अधिक वित्तीय प्रणाली है।
- प्रशिक्षण में विमानन के सभी पहलुओं और शुरुआती पाठ्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ प्रबंधन पाठ्यक्रम तक शामिल हैं।
- IATA का काम टिकट टैक्स बॉक्स सेवा का प्रबंध भी देखना है।

सुरक्षा का पूरा ध्यान:

- IATA हमेशा से ही सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। सुरक्षा के लिए मुख्य साधन अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ संचालन सुरक्षा लेखा परीक्षा है। कई देशों द्वारा IOSA को राज्य स्तर पर अनिवार्य किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने वास्तविक समय में उड़ान में विमान को ट्रैक करने के उपायों का अध्ययन करने के लिए जून 2014 में एक विशेष पैनल की स्थापना भी की थी।
- 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद IATA के लिए सुरक्षा और अधिक महत्वपूर्ण हो गई।
- IATA ने जोखिम मूल्यांकन और यात्री भेदभाव पर आधारित एक चेकपॉइंट विकसित किया है।

अनुच्छेद 35 (A):

हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि अनुच्छेद 35 (A) की संवैधानिकता को लेकर जारी सुनवाईयों को 6 माह के लिये रोक दिया जाए। केंद्र सरकार का तर्क यह है कि उसने जम्मू और कश्मीर के लिये एक वार्ताकार नियुक्त किया है और जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 35 (A) पर किसी भी तरह का फैसला सरकार के शांति प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस लेख में अनुच्छेद 35 (A) क्या है? इसे लेकर विवाद क्यों है और क्यों इसे खत्म किया जाना चाहिये अथवा नहीं किया जाना चाहिये जैसे प्रश्नों पर विचार करेंगे।

मामले की पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि एक गैर सरकारी संगठन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद-35 (A) को इस आधार पर चुनौती दी गई कि:

- इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में शामिल नहीं किया गया था।
- इसे संसद के पटल पर रखे बिना ही शीघ्रता से लागू कर दिया गया था।

→ ऐसे ही एक अन्य मामले में दो कश्मीरी महिलाओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुच्छेद 35 (A) कश्मीर में लैंगिक भेदभाव का एक बड़ा कारण और संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

→ याचिका में कहा गया है कि संविधान ने महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिये हैं लेकिन 35-A पूरी तरह पुरुषों को अधिकार देता है, क्योंकि इसके तहत:

- यदि राज्य का कोई पुरुष नागरिक किसी दूसरे राज्य की महिला से विवाह करता है तो वो महिला भी जम्मूपत्र -कश्मीर की नागरिक बन जाती है और उसे भी स्थायी निवास प्रमाण- मिल जाता है।
- वहीं कश्मीर की कोई महिला नागरिक यदि राज्य से बाहर के व्यक्ति से शादी करती है तो वो स्थायी नागरिकता का हक खो बैठती है।
- यह मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के अनुरोध को आंशिक रूप से मानते हुए इस मामले की सुनवाई 6 माह के बजाय 12 सप्ताह के लिये टाल दी है।

क्या है अनुच्छेद 35 (A) ?

- भारतीय संविधान के परिशिष्ट 2 में निहित अनुच्छेद 35 (A) जम्मूकश्मीर विधानमंडल को यह शक्ति - त प्रदान करता है कि वह राज्य के स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों व विशेषाधिकारों को परिभाषि कर सकता है।
- गौरतलब है कि वर्ष 1954 में राष्ट्रपति डॉराजेंद्र प्रसाद द्वा .रा पारित एक आदेश के ज़रिये संविधान में एक नया अनुच्छेद 35 (A) जोड़ दिया गया।
- दरअसल, 35 (A) संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मूकश्मीर विधानसभा को यह अधिकार देता है - यी निवासियों को पारभाषित कर सके।कि वह राज्य में स्था
- जहाँ तक राज्य के नागरिक माने जाने की शर्तों की बात है तो जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक, स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो:
- 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो।
- 14 मई 1954 के पहले 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो और उसने वहाँ संपत्ति हासिल की हो।
- अनुच्छेद 35 (A) के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर-की कोई महिला किसी गैरकश्मीरी से विवाह कर - लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं और साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं।

अनुच्छेद 35 (A) को बनाए रखने के पक्ष में तर्क

- अनुच्छेद 35 (A) संविधान के अनुच्छेद 370 का एक उपबंध है जिसके तहत जम्मू और कश्मीर विभाजन के दौरान भारत में शामिल हुआ।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का भारत में 'विलय' नहीं किया, बल्कि विशिष्ट परिस्थितियों में 'स्वीकृत' किया था।
- गौरतलब है कि इन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के तहत राज्य के निवासियों को विशेष अधिकार और सुविधाएँ प्रदान की गई थीं।

- अनुच्छेद 35 (A) राज्य सरकार को अपने राज्य के निवासियों के लिये विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है।
- दरअसल, अनुच्छेद 35 (A) को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह अन्य भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।
- अनुच्छेद 35 (A) के तहत राज्य विधायिका के अधिकार असीमित नहीं हैं और केवल रोजगार, संपत्ति, और छात्रवृत्ति के मामले में ही इन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 35 (A) को असवैंधानिक घोषित करने से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यह है कि घाटी में हालत अत्यंत ही संवेदनशील हैं और इन हालातों में इसे खत्म करना कश्मीरियों के भारत से जुड़ाव को और भी कमज़ोर करने का काम करेगा।

अनुच्छेद 35 (A) को खत्म करने के पक्ष में तर्क

- यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सीमित करता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नगण्य तो करता ही है साथ ही यह नैसर्गिक अधिकारों के प्रति भी विरोधाभाषी चरित्रों वाला है।
- इसको लागू करने की पद्धति भी अलोकतांत्रिक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विधि के शासन का प्रथम सिद्धांत है कि विधि के समक्ष देश का प्रत्येक व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिये।
- विधि का समान संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु संविधान लिखित आश्वासन अनुच्छेद)14) भी प्रदान करता है। लेकिन अनुच्छेद 35 (A) भारत में ही दोहरी विधिकव्यवस्था का निर्माण करता है।-
- अनुच्छेद 35 (A) के संविधान में समाविष्टि की प्रक्रिया ही पूर्णतः असंवैधानिक है। संविधान में एक भी शब्द जोड़ने या घटाने की शक्ति जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है, केवल भारतीय संसद को प्राप्त है। परंतु इस संबंध में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि:
- इस अनुच्छेद के लिये संसद में कोई बहस नहीं हुई
- कोई मत विभाजन नहीं हुआ।
- स्पष्ट रूप से यह संपूर्ण प्रक्रिया ही अलोकतांत्रिक थी।

आगे की राह

- इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनुच्छेद 35 (A) और धारा 370 अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दे हैं और हाल के दिनों में कश्मीर जिस हिंसा के दौर से गुज़र रहा है उसे देखते हुए इस मामले में कोई अतिवादी कदम उठाने से बचना चाहिये।
- केंद्र सरकार ने कश्मीर में शांति बहाली के लिये हाल ही में एक वार्ताकार नियुक्त किया है जो कि निश्चित ही एक स्वागत योग्य कदम है| यदि एक बार कश्मीर में जनजीवन पटरी पर लौट आता है - तो इस मामले में सुनवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- सुनवाई आगे बढ़ाने का अर्थ यह नहीं है कि अनुच्छेद 35 (A) को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाए, बल्कि इस अनुच्छेद में सुधारात्मक बदलाव लाने के प्रयास होने चाहिये। बात जब सुधारात्मक प्रयासों की हो तो यह जानना आवश्यक है कि कौन से वे बिंदु हैं जहाँ सुधार की ज़रूरत है और ये बिंदु निम्नलिखित हैं।

- अनुच्छेद 370 में कहा गया है कि जम्मूकश्मीर के सभी प्रवासी जो पाकिस्तान में आए थे-, उन्हें राज्य के विषय के रूप में माना जाता है, जबकि अनुच्छेद 35 (A) भारत के ही नागरिकों को कश्मीर में बसने की अनुमति नहीं देता।
- यह प्रावधान लैंगिक भेदभाव को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि नियमों के अनुसार कोई महिला गैरकश्मीरी - हनन से विवाह करते ही अपने अधिकार खो बैठती है और यह उसके जीवनसाथी चुनने के अधिकार का है।

निष्कर्ष

- जम्मू कश्मीर भारत के सबसे उत्तर में स्थित राज्य है| यदि भारत के मानचित्र के सामने खड़े होकर इसका अवलोकन करें तो यह राज्य ठीक हमारे सर के सामने आता है और विडंबना यह है कि हम विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही प्रतिकूल हालातों के कारण इस सरदर्द का सामना करते आ रहे हैं।
- अनुच्छेद 35 (A) को खत्म करने से समस्या का समाधान होने के बजाय परिस्थितियाँ और भी बिगड़ सकती हैं। दरअसल इसे खत्म करने से इस संबंध में जारी सभी 41 राष्ट्रपति आदेशों को भी कानूनी चुनौती दी जा सकती है। ये आदेश इसलिये महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि:
- जम्मूकश्मीर के निवासियों को इन राष्ट-्रपति के आदेशों के ज़रिये ही भारतीय नागरिक माना जाता है।
- भारतीय संविधान के 395 में से 260 अनुच्छेद कश्मीर में लागू हैं तो उनका कारण यही राष्ट्रपति आदेश हैं।
- जम्मूयही राष्ट्रपति आदेश हैं। कश्मीर में केंद्रीय शासन का कारण भी-
- हालाँकि अनुच्छेद 35 (A) के प्रावधान समानता और लैंगिक न्याय के सिद्धांतों के लिये विरोधाभाषी चरित्र पेश करते हैं और इन्हें दूर करने के उपाय होने चाहिये| लेकिन, कश्मीर की संवेदनशीलता को देखते हुए कोई भी कदम सोचऔर इस दृष्टि से केंद्र सरकार का यह विचारकर आगे बढ़ाना होगा- अनुरोध और सर्वोच्च न्यायालय का उसके प्रति सहमति दिखाना निश्चित ही सराहनीय है।

भारत की मेथनॉल अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों ?

परंपरागत रूप से उच्च तापमान पर मीथेन को हाइड्रोजन गैस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करके मेथनॉल का निर्माण किया जाता है। इसके पश्चात् इन सभी को दूसरी अत्यधिक दबाव वाली प्रक्रिया में एक अलग क्रम में पुन) संयोजित किया जाता है। इस अत्यधिक ऊर्जा गहन :Energy Intensive) एवं महँगी प्रक्रिया को 'स्टीम रिफॉर्मिंग' (Steam Reforming) प्रक्रिया तथा 'मेथनॉल सिंथेसिस' (Methanol Synthesis) प्रक्रिया कहा जाता है। इसे पेट्रोल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस संबंध में ऐसा माना जा रहा है कि मेथनॉल बनाने की इस नई प्रणाली का इस्तेमाल रसायनों और प्लास्टिक बनाने के लिये भी किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- यह न केवल लागत में बहुत सस्ता है, बल्कि इसका पेट्रोल की अपेक्षा पर्यावरण के अनुकूल होने का भी वादा किया जा रहा है।

- वर्तमान में मीथेन को सर्वप्रथम तरल प्राकृतिक गैस)Liquid Natural Gas) के रुप में संघनित किया जाता है, तत्पश्चात् इसे दबाव वाले कंटेनरों)Pressurised Containers) में भरा जाता है।
- इस नई खोज ने इस संबंध में एक नए मार्ग को प्रशस्त किया है। वह स्थान जहाँ इसे सबसे पहले खोजा जाता है, वहीं पर प्राकृतिक गैस को मेथनॉल में परिवर्तित करते हुए सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में इसे तरल रूप में पाइप में भरा जा सकता है।
- वर्तमान में भारत को प्रतिवर्ष तकरीबन 2900 करोड़ लीटर पेट्रोल और 9000 करोड़ लीटर डीज़ल की आवश्यकता है।
- ईंधन खपत के संदर्भ में भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है।
- एक अनुमान के अनुसार, यह खपत वर्ष 2030 तक दोगुनी हो जाएगी और भारत तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा।
- हाइड्रोकार्बन ईंधन ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सहित पर्यावरण को भी विपरीत रूप से (जीएचजी) जैसे शहरों में लगभगप्रभावित किया है। दिल्ली30% प्रदूषण ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित होता है।
- सड़कों पर ऑटोमोबाइलों की बढ़ती संख्या प्रदूषण को और भी विकृत रूप प्रदान कर रही है।

मेथनॉल का निर्माण कैसे किया जाता है?

- सर्वप्रथम मीथेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड)Hydrogen Peroxide) के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करने के लिये सोने के नैनोकणों का उपयोग कर मेथनॉल का निर्माण किया गया था।-
- इसके लिये 50 डिग्री सेल्सियस)122 डिग्री फारेनहाइटसे अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती (है।
- हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा मेथनॉल)Methanol) के निर्माण का एक नया तरीका खोजा गया है। मेथनॉल का इस्तेमाल वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है।
- वैज्ञानिकों द्वारा हवा में ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए एक ऐसी तकनीक का निर्माण किया गया है, जिसका प्रयोग हरित औद्योगिक प्रक्रियाओं)Greener Industrial Processes) के संबंध में किया जा सकता है।

मेथनॉल की विशेषताएँ

- मेथनॉल एक हल्का, वाष्पशील, रंगहीन, ज्वलनशील द्रव होता है।
- यह सबसे सरल अल्कोहल होता है।
- यह जैव ईंधन के उत्पादन में बेहद उपयोगी होता है।
- यह एक कार्बनिक यौगिक है, इसे काष्ठ अल्कोहल भी कहते हैं।
- यह प्राकृतिक गैस, कोयला एवं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनता है। इसके दहन से कार्बन का उत्सर्जन कम होता है, इसलिये यह बेहद पर्यावरण हितेषी होता है।
- यह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने वाला पदार्थ होता है। मेथनॉल का निर्माण कृषि उत्पादों, कोयला एवं नगरपालिका के कचरे से भी किया जा सकता है।
- यह जल परिवहन के लिये एक भरोसेमंद ईंधन है क्योंकि यह स्वच्छ, जीवाश्म ईंधन की तुलना में सस्ता तथा भारी ईंधन का एक अच्छा विकल्प है।

मेथनॉल ही क्यों?

- मेथनॉल ईंधन में विशुद्ध ज्वलन कण विद्यमान होते हैं जो परिवहन में पेट्रोल और डीज़ल दोनों और रसोई ईंधन में एलपीजी, लकड़ी एवं मिट्टी तेल का स्थान ले सकता है।
- यह रेलवे, समुद्री क्षेत्र, जेनसेट्स, पावर जेनरेशन में डीज़ल को भी प्रतिस्थापित कर सकता है और मेथनॉल आधारित संशोधक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिये आदर्श पूरक हो सकते हैं।
- मेथनॉल अर्थव्यवस्था संपूर्ण 'हाइड्राजेन आधारित ईंधन प्रणालियों' के सपने के लिये 'सेतु' है।

- मेथनॉल का गैसीय रूपएमई को एलपीजी के साथ मिलाया जा सकता है और यहडी- बड़ी बसों और ट्रकों में डीज़ल के लिये बेहतर पर्याय हो सकता है।
- पेट्रोल में मेथनॉल 15 (एम 15) प्रदूषण को 33% तक कम करेगा और मेथनॉल द्वारा डीज़ल प्रतिस्थान 80% से अधिक प्रदूषण कम करेगा।
- मेथनॉल को प्राकृतिक गैस, इंडियन हाई ऐश कोल, बायोमास-, स्ट्रैंडेड और फ्लेर्ड गैसों से बनाया जा सकता है और भारतीय कोयले और सभी अन्य फीडस्टोक से 19 रुप्रति लीटर की दर से मेथनॉल के . किया जा सकता है।को प्राप्त (म सेउचित प्रौद्योगिकी संयोजन के माध्य) दनउत्पा
- विश्व का बेहतर हिस्सा कार्बनइड से नवीकरणीय मेथनॉल की दडाइआक्सा-िशा में पहले ही जा रहा है।

मेथनॉल के संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य

- पिछले कुछ वर्षों के दौरान, ईंधन के रूप में मेथनॉल और डीएमई का उपयोग काफी बढ़ा है। मेथनॉल मांग में सालाना रूप से तकरीबन 6 से 8% तक की वृद्धि हो रही है।
- विश्व ने मेथनॉल की 120 एमटी की क्षमता संस्थापित की है और वर्ष 2025 तक इसके लगभग 200 एमटी होने की संभावना है।
- वर्तमान में चीन के परिवहन ईंधन का लगभग 9 प्रतिशत भाग मेथनॉल से कवर होता है। चीन ने अपने लाखों वाहनों को मेथनॉल आधारित वाहनों के रूप में परिवर्तित किया है। अकेला चीन विश्व मेथनॉल के 65 प्रतिशत हिस्से का उत्पादन करता है।
- इज़रायल और इटली ने भी पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15 प्रतिशत के मिश्रण कार्यक्रम को अपनाया है और यह तेज़ी से एम 85 और एम 100 की ओर बढ़ रहा है।
- जापान और कोरिया भी मेथनॉल और डीएमई का उपयोग कर रहे हैं।
- इसके अलावा आस्ट्रेलिया द्वारा जीईएम ईंधन गैसोलीन), एथेनॉल और मेथनॉल को अपनाया हैको (अपनाया गया है। इसमें50 प्रतिशत से अधिक मेथनॉल मिश्रित किया जाता हैं।
- 1500 से ज़्यादा लोगों को ढोने वाले बड़े यात्री जहाज़ पहले ही 100 प्रतिशत मेथनॉल पर कार्य कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त 11 अफ्रीकी और कई कैरेबियन देशों द्वारा भी मेथनॉल को रसोई ईंधन के रूप में अपनाया गया है।
- पूरे विश्व में जेनसेट और औद्योगिक बॉयलर भी डीज़ल की बजाए मेथनॉल पर कार्य कर रहे हैं।

भारत के संदर्भ में

- भारत ने 2 एमटी प्रतिवर्ष की मेथनॉल उत्पादन क्षमता संस्थापित की है। नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार, इंडियन हाई ऐश कोल, स्ट्रैंडेड गैस और बायो मास का उपयोग करके वर्ष-2025 तक वार्षिक रूप से 20 एमटी मेथनॉल का उत्पादन किया जा सकता है।
- नीति आयोग ने वर्ष 2030 तक अकेले मेथनॉल द्वारा 10 प्रतिशत कच्चे तेल के आयात के प्रतिस्थापन के लिये एक योजना तैयार की है। इसके लिये लगभग (रोड मैप)30 एमटी मेथनॉल की आवश्यकता होगी।
- मेथनॉल और डीएमई पेट्रोल और डीज़ल से काफी हद तक सस्ते होते हैं।

नीति आयोग की योजना -:त मुद्दों को शामिल किया गया हैलिखिमें निम्न (रोड मैप)

- देशी प्रौद्योगिकी से इंडियन हाई ऐश कोल से बड़ी मात्रा में मेथनॉल का उत्पादन और क्षेत्रीय उत्पादन कार्य नीतियों को अपनाना और बड़ी मात्रा में-19 रुपए प्रति लीटर की दर से मेथनॉल का उत्पादन।
- भारत कोयले के उपयोग को पूर्णत पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिये और सीओपी :21 के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं के लिये कार्बन डाइआक्साइड को पकड़ने की प्रौद्योगिकी को अपनाएगा।

- मेथनॉल उत्पादन के लिये बायोमास-, स्ट्रैंडेड गैस और एमएसडब्ल्यू फीडस्टोकों से लगभग 40% मेथनॉल उत्पादन हो सकता है।
    - मेथनॉल और डीएमई का परिवहन रेल -, सड़क, समुद्री और रक्षा में मेथनॉल का उपयोग।
    - औद्योगिक बॉयलर, डीजल जेनसेट्स और पावर जेनरेशन और मोबाइल टावर अन्य अनुप्रयोग हैं।
    - मेथनॉल और डीएमई का घरेलू रसोई ईंधन – रसोई स्टोव के रूप में उपयोग।
    - एलपीजी म।डीएमई मिश्रण कार्यक्र =
    - मैरीन, जेनसेट्स और परिवहन में फ्यूल सेल एप्लीकेशंस में मेथनॉल का उपयोग।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के समक्ष वर्ष 2022 तक कच्चे तेल के आयात बिल को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही इसके कारण विश्व के साथ हमारी मोल पर भी इसका नकारात्मक भाव की शक्ति- प्रभाव पड़ता है। मेथनॉल अर्थव्यवस्था आयात प्रतिस्थापन के साथसाथ भारत को उसके कोयले के विशाल - त वर्तमान में सऊदी अरब और ईरान से मेथनॉल आयात करता है। भंडार का उपयोग करने में मदद करेगी। भार मेथनॉल दुनिया के कई हिस्सों में इस्तेमाल होने वाला एक अच्छा ईंधन है। अधिकांश देशों में यह प्राकृतिक गैस से बनता है, जबकि भारत में यह स्थानीय रूप से उपलब्ध कोयले से प्राप्त हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल में परिवर्तित करने का अनुसंधान आशाजनक है और यह मेथनॉल अर्थव्यवस्था के लिये खेल परिवर्तक- हो सकता है। कोयले से एथनॉल बनाया जा सकता है (गेम चेंजर), इस बारे में ओडिशा के तालचर में एक पायलट परियोजना पहले से ही चलाई जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत कच्चे तेल के आयात पर प्रत्येक वर्ष 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है।

विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना के लिये -6,000 करोड़ की मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

भारत में भूजल भंडार के लगातार कम होने की चिंताओं को दूर करने के लिये विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना)ABHY) के तहत 6,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह योजना 2018-19 से 2022-23 तक पांच साल की अवधि में लागू की जानी है। योजना के प्रस्ताव को पहले ही व्यय वित्त समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है और जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिये प्रस्तुत किया जाएगा।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

- इस योजना के तहत पहचान किये गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं|
- ये राज्य भारत के कुल भूजल के दोहन के संदर्भ में 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ अत्यधिक दोहन वाले, अत्यधिक जोखिम वाले तथा कम जोखिम वाले ब्लॉक हैं|
- भारत के भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया गया है जिसके कारण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी।
- 2011 में नमूना मूल्यांकन के अनुसार, भारत के 71 ज़िलों में से 19 में भूजल का अत्यधिक दोहन किया गया| जिसका अर्थ है कि जलाशयों की प्राकृतिक पुनर्भरण की क्षमता से अधिक जल की निकासी की गई है।
- 2013 में किये गए आकलन के अनुसार, जिसमें ज़िलों के ब्लाकों को शामिल किया गया और पाया गया कि यहाँ का 31% जल खारा हो गया था|
- विश्व बैंक से मिलने वाली यह निधि भूजल के लिये राज्यों में काम करने वाले संस्थानों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा भूजल को बढ़ावा देने के लिये सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा|

अटल भूजल योजना

- इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है|
- अटल भूजल योजना का उद्देश्य समुदाय भागीदारी के माध्यम से देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है|
- इस योजना में विश्व बैंक और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50:50 की है|
- यह योजना गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जल की कमी वाले क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित है।
- इस योजना के अंतर्गत इन प्रदेशों के 78 ज़िलों, 193 ब्लॉकों और 8350 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड की विगत वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार देश के 6584 भूजल ब्लॉकों में से 1034 ब्लॉकों का अत्यधिक उपयोग हुआ है। सामान्यतः इसे 'डार्क जोन' (पानी के संकट की स्थितिकहा जाता है। (

विश्व बैंक

- विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में अमेरीका के ब्रेटन वुड्स शहर में विश्व के नेताओं के एक सम्मेलन के दौरान हुई थी|
- द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा पटरी पर लाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं का गठन किया गया था|
- विश्व बैंक समूह का मुख्यालय वाशिंगटन डी सी में है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो ऋण प्रदान करती है।
- विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है।
- विश्व बैंक समूह पाँच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है।
- इसके उद्देश्यों में शामिल हैविश्व को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाना -, विश्व में गरीबी को कम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना|

'पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री' और इसकी उपयोगिता

चर्चा में क्यों?

रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एस विश्वनाथन का कहना है कि एक .एन.'पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री' (public credit registry-PCR) के आरंभ होने से डिजिटलीकरण की गति बढ़ेगी। विदित हो कि पीसीआर बनाने को लेकर आरबीआई ने हाल ही में एक कार्यदल का गठन किया था। यह पीसीआर कई कारणों से महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

क्या है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर)?

- पीसीआर क्रेडिट से संबंधित जानकारियों का एक विस्तृत डाटाबेस होगा जो सभी हितधारकों के लिये उपलब्ध रहेगा।
- पीसीआर में ऋण की मांग करने वाले व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारियाँ, जैसेउसने पहले कितना - ऋण लिया है, उसने समयानुसार ऋण चुका दिया है या नहीं? आदि एकत्र कर रखी जाएंगी।

कैसे होता है पीसीआर का प्रबंधन?

- आमतौर पर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री यानी पीसीआर का प्रबंधन केंद्रीय बैंक या बैंकिंग पर्यवेक्षक के हाथ में होता है।
- कानूनी तौर पर कर्ज़दाताओं या कर्ज़दारों के लिये ऋण विवरणों की सूचना पीसीआर को देना अनिवार्य बना दिया जाता है।

पीसीआर के संभावित लाभ

- 'लोन डिफॉल्ट' घटाने, ऋण लेने एवं देने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने में पीसीआर की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
- भारत में पारदर्शी और व्यापक 'पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री' बनाना समय की मांग भी है, क्योंकि आज बैंकों का एनपीए उल्लेखनीय रूप से बढ़ा हुआ है।
- साथ ही इसका फायदा छोटे और मझोले कारोबारियों व उद्यमियों को भी मिलेगा और वित्तीय समावेश बढ़ेगा तथा कारोबार करना सुगम होगा।

निष्कर्ष

- ऋण की मांग करने वालों के बारे में पता लगाने के लिये अब अलगअलग तरह के डाक्यूमेंट्स जुटाने - की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सभी जानकारियाँ पीसीआर के ज़रिये उपलब्ध होंगी। इससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा तो मिलेगा साथ ही इसके कई अन्य फायदे भी हैं।
- यदि यह व्यवस्था भारत में लागू की जाती है, तो इससे बैंकों की ओर से क्रेडिट के आकलन और दर निर्धारण में मदद मिलेगी। इसके अलावा नियामकों के लिये निगरानी करना आसान बन जाएगा।
- पीसीआर की सहायता से मौद्रिक नीतियों से भी संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ जुटाई जा सकती हैं, जैसेइन नीतियाँ का ऋण बाज़ार पर क्या प्रभाव देखा जा रहा है-? यदि ये नीतियाँ सही से काम नहीं कर रही तो बाधाएँ कहाँ पर हैं और उनका समाधान कैसे हो?
- दरअसल, बड़े कर्ज़दारों को प्रायः ऋण बाजार में तरजीह दी जाती है और इसका कारण यह है कि उनकी 'क्रेडिट हिस्ट्री', 'ब्रांड वैल्यू' आदि के संबंध में जानकारियाँ आसानी से उपलब्ध होती है।
- लेकिन, अब पीसीआर के बनने से छोटे व मझोले कारोबारियों और उद्यमियों की भी जानकारियाँ सुलभ उपलब्ध होंगी, ज़ाहिर है इन्हें फायदा मिलेगा।

वैश्विक शांति सूचकांक, 2018

- लंदन स्थित 'इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस' (IEP) द्वारा 'वैश्विक शांति सूचकांक)Global Peace Index), 2018' जारी किया गया।
- यह इस सूचकांक का 12वां संस्करण है।
- वर्ष 2018 के वैश्विक शांति सूचकांक का मुख्य विषय)Theme)-"एक जटिल विश्व में शांति का मापन" (Measuring Peace in a Complex World) है।
- वर्ष 2018 के इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों को उनकी शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है।
- संपूर्ण विश्व की 99.7 प्रतिशत जनसंख्या इन्हीं देशों में निवास करती है।
- वैश्विक शांति सूचकांक में 23 गुणात्मक एवं मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर विश्व के देशों का शांति के स्तर पर मापन किया जाता है।
- इन 23 संकेतकों को जिन तीन विस्तृत विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, वे हैं-
  - **I.** समाज में बचाव एवं सुरक्षा का स्तर
  - **II.** घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का विस्तार और
  - **III.** सैन्यीकरण।
- वर्ष 2018 के वैश्विक शांति सूचकांक के परिणाम दर्शाते हैं कि वैश्विक स्तर पर गत वर्ष से शांति में 0.27 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसमें लगातार चौथे वर्ष गिरावट दर्ज की गई।
- गत एक वर्ष के दौरान 71 देशों के शांति के स्तर में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है, जबकि 92 देशों के शांति के स्तर में गिरावट दर्ज हुई है।

- वर्ष 2018 के सूचकांक के अनुसार, वर्तमान यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र)Most Peaceful Region) रहा।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में हिंसा के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्रय शक्ति समता के रूप में 14.76 ट्रिलियन का नुकसान हुआ जो वैश्विक जीडीपी का 12.4 प्रतिशत है।
- वैश्विक शांति सूचकांक)GPI), 2018 के अनुसार 1.096 स्कोर के साथ आइसलैंड को इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अर्थात आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिमय देश है।
- इसके पश्चात सर्वाधिक शांत 4 देशों का क्रम इस प्रकार है)-2) न्यूजीलैंड -स्कोर)1.192), (3) ऑस्ट्रिया -स्कोर)1.274) (4) पुर्तगाल -स्कोर)1.318) तथा)5) डेनमार्क -स्कोर)1.353)।
- इस सूचकांक में सीरिया -स्कोर)3.6) को सबसे निचला 163वां स्थान प्राप्त हुआ है। अर्थात सीरिया विश्व का सर्वाधिक अशांत देश है।
- इसके पश्चात सर्वाधिक अशांत 4 देशों का क्रम इस प्रकार हैः)162) अफगानिस्तान -स्कोर)3.585), (161) दक्षिण सूडान -स्कोर)3.508), (160) इराक -स्कोर)3.425), (159) सोमालिया -स्कोर)3.367)।
- वैश्विक शांति सूचकांक, 2018 में भारत को कुल 163 देशों की सूची में 136वां -स्कोर)2.504) स्थान प्राप्त हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि गतवर्ष भारत 137वें स्थान पर था।
- भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 19वें, श्रीलंका 67वें, नेपाल 84वें तथा पाकिस्तान 151वें स्थान पर रहा।
- इस सूचकांक में विश्व के अन्य प्रमुख देशों में कनाडा 6वें, सिंगापुर 8वें, जापान 9वें, जर्मनी 17वें, यूके 57वें, फ्रांस 61वें तथा अमेरिका 121वें स्थान पर रहा।

मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत और ओमान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच समझौता ज्ञापन भारत की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को मंजूरी दी। इस एमओयू पर (एमओयू) और ओमान के परिवहन एवं संचार मंत्रालय ने फरवरी (इसरो)2018 में मस्कट में हस्ताक्षर किए थे।

विवरण :

- इस एमओयू से इन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा – अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग जैसे पृथ्वी की रिमोट सेंसिंग, उपग्रह आधारित नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान एवं सौरमंडल से संबंधित खोज, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष प्रणाली एवं ग्राउंड सिस्टम का इस्तेमाल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।
- इस एमओयू के तहत एक संयुक्त कार्य समूह का गठन होगा जिसमें डीओएससरो और ओमान के इ/ लिए जाएंगे जो समय सारणी एवं इस एमओयूसे सदस्य (एमटीसी) परिवहन एवं संचार मंत्रालय को लागू करने के लिए साधनों सहित कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करेंगे।
- इससे पृथ्वी के रिमोट सेंसिंग, उपग्रह नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान एवं बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में नई अनुसंधान गतिविधियों की संभावनाएं तलाशने एवं संभावित अनुप्रयोगों को बल मिलेगा।

कार्यान्वयन रणनीति एक लक्ष्य :

- इस हस्ताक्षरित एमओयू से एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना होगी जो समय सारणी और इस एमओयू के प्रावधानों को लागू करने के साधनों सहित एक कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करेगा।

लाभ:

- यह एमओयू मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इस प्रकार इससे देश के सभी क्षेत्रों और तबकों को लाभ मिलेगा।

प्रभाव:

- इस एमओयू के जरिए ओमान सल्तनत के साथ सहयोग बढ़ेगा और मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

पृष्ठभूमि:

- ओमान सल्तनत ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम तैयार करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दिखाई थी। इसके साथ सहयोग में दिलचस्पी (इसरो)ी क्रम में मार्च 2011 में ओमान के संचार विभाग के एक 4-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इसरो का दौरा किया था और इसरो के तकनीकी प्रतिष्ठानों को देखा था। उसके बाद ओमान सल्तनत ने मई 2016 में ओमान में भारत के राजदूत के समक्ष इसरो के साथ अपने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में सहयोग की इच्छा जताई थी।
- तदनुसार दोनों पक्षों ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए पारस्परिक रूप से सहमति जताई। इस एमओयू पर भारत की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और ओमान के परिवहन एवं (इसरो) संचार मंत्रालय ने 11 फरवरी, 2018 में मस्कट में हस्ताक्षर किए गये थे।

क्यों हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता है भारत ?

हाल ही में अमेरिकी संसद में एक अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक का नाम है -'बिंदू फिलिप्स एंड डेवन डेवनपोर्ट इंटरनेशनल चाइल्ड एबडक्सन रिटर्न एक्ट, 2017' (Bindu Philips and Devon Davenport International Child Abduction Return Act, 2017)। विदित हो कि इस विधेयक में उन देशों को दण्डित करने की बात की गई है, जो अपहृत बच्चों की वापसी पर अमेरिकी अदालत के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। आरम्भ के दोचार वाक्यों को पढ़ने के बाद यह लगना स्वाभाविक है कि अमेरिकी संसद में - पेश किसी विधेयक से हमें क्या लेना है? लेकिन ऐसा नहीं है, यह अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिससे भारत के हित जुड़े हुए हैं।

क्या है मामला ?

- दरअसल, बिंदु फिलिप्स और डेवन डेवनपोर्ट दो महिलाएँ हैं। बिंदु फिलिप्स जहाँ एक इंडोअमेरिकन है - अमेरिकन महिला है। इन दोनों महिलाओं ने एक अमेरिकी कोर्ट में-डेवन डेवनपोर्ट एक ब्राज़ील वहीं शिकायत दर्ज़ कराई है कि उनके पति बलपूर्वक उनके बच्चों को भारत और ब्राज़ील लेकर चलेे गए हैं।
- अमेरिका उन देशों में से एक है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं को लेकर 1980 के हेग कंवेंशन के साथ प्रतिबद्धता जताई है, जबकि भारत, एनआरआई माताके बीच विवाद होने पिता- या अलग होने पर उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब तक कोई कानून नहीं बना पाया है। उल्लेखनीय है कि भारत ने हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर भी नहीं किया है।
- विदित हो कि इस वर्ष फरवरी में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हेग समझौते पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया था। इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और अपनी सिफारिश देने के लिये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल की अध्यक्षता में एक बहुसदस्यीय समिति बनाई गई थी। इस समिति ने एक विचार पत्र तैयार किया है।

क्यों तैयार किया गया है यह विचार पत्र-?

- मसलन, पारदेशीय विभागों में वृद्धि तथा आज के संबंधों में शामिल जटिलताओं को देखते हुए अभिभावकों और बच्चों के अधिकारों की रक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का विषय है।
- विदित हो कि सीमा कपूर बनाम दीपक कपूर मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस विषय को आगे विचार के लिये विधि आयोग को भेज दिया। आयोग से विषय में शामिल अंतर देश, परिवारों में अंतर, मातारण जैसे पक्षों पर विचार करने को कहा गया।पिता बाल अपह-
- साथ ही यह भी कहा गया कि विधि आयोग विचार करे कि क्या बाल अपहरण से संबंधित पर हेग समझौते पर हस्ताक्षर के लिये उचित कानून बनाया जाना चाहिये?

- विधि आयोग ने अपनी 263वीं रिपोर्ट में सरकार को परामर्श दिया कि हेग समझौता 1980 के प्रावधानों को देखते हुए इस विषय पर विचार की आवश्यकता है। तत्पश्चात न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल की अध्यक्षता में एक बहुसदस्यीय समिति बनाई गई।

वर्तमान स्थिति

- पिछले महीने पंजाब एनआरआई आयोग के अध्यक्ष, एक पारिवारिक कानून विशेषज्ञ और विभिन्न मंत्रालयों के छह प्रतिनिधियों तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक समिति ने सार्वजनिक सुझावों के लिये एक अवधारणा नोट जारी किया था। विदित हो कि इस समिति को बड़ी संख्या में टिप्पणियाँ और सुझाव प्राप्त हुए हैं।

क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं को लेकर 1980 का हेग कंवेंशन ?

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो उन बच्चों की त्वरित वापसी को सुनिश्चित करता है, जिनका "अपहरण" कर उन्हें उस जगह पर रहने से वंचित कर दिया गया है, जहाँ वे रहने के अभ्यस्त हैं।
- अब तक 97 देश इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के बावजूद, भारत ने अभी तक इस कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है।
- कन्वेंशन के तहत हस्ताक्षर करने वाले देशों को उनके अभ्यस्त निवास स्थान से गैरकानूनी ढंग से निकाले गए बच्चों का पता लगाने और उनकी वापसी को सुनिश्चित करने के लिये एक केन्द्रीय प्राधिकरण का निर्माण करना होगा।
- मान लिया जाए कि किसी देश ने हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर रखा है और इस मसले पर उस देश का अपना कानून कोई अलग राय रखता हो तो भी उसे कन्वेंशन के नियमों के तहत ही कार्य करना होगा।

क्यों इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने से कतरा रहा है भारत ?

- विदित हो कि इस कन्वेंशन को लेकर पहला विवाद इसके नाम से ही संबंधित है। 'अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं को लेकर 1980 का हेग कंवेंशन' उन बच्चों की बात करता है, जिनका 'अपहरण' किया गया है। इस मुद्दे पर विचार करने के दौरान विधि आयोग ने भी कहा था कि कैसे कोई माता पिता अपने ही बच्चे का-'अपहरण' कर सकते हैं।
- विदित हो कि विदेशी न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णय, भारत के लिये बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन अब हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपरांत हम स्वयं के कानूनों के तहत फैसला लेने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने के लिये बाध्य हो जाएंगे।
- शादी के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों में बसने वाली कई महिलाओं का उनके पतियों द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है। ऐसे में वे अपने बच्चों के साथ भारत में रहने लगती हैं। यदि भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया तो उन्हें अपने बच्चों के बिना रहना होगा।

निष्कर्ष

- इसमें कोई शक नहीं है कि हेग कन्वेंशन एक सार्थक उद्देश्यों वाला कन्वेंशन है, लेकिन भारत की वैधानिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि किसी अन्य देश के अदालती फैसले को बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है।
- यदि कोई बच्चा भारत लाया जाता है और उसके अभ्यस्त निवास स्थान देश की अदालत उसे वापस लाने का निर्णय दे देती है, तब भी वह ऐसा करने में असफल रहेगा।
- विदित हो कि इस तरह के मामलों में सुनवाई के लिये भारत में अभी भी संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (Guardians and Wards Act, 1890) का ही सहारा लिया जाता है। अतः बिना किसी कानूनी सुधार के हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करना निरर्थक ही साबित होगा।

- हेग कन्वेंशन बच्चों के अधिकारों से संबंधित और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यूरोप, अमेरिका के अलावा अरब देशों में भी बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं और इन परिस्थितियों में यह मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है।
- यह भी प्रमाणित है कि बच्चे का समुचित विकास उसी परिवेश में हो पाता है, जहाँ वह रहने को अभ्यस्त है। बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिये देश को हस्तक्षेप करना ही चाहिये।
- यदि भारत हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं भी करता है तो विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संधियों के माध्यम से इस समस्या का हल किया जाना चाहिये।

'स्वच्छ भारत मिशन' : आगे की राह

भूमिका

गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में साफसफाई और स्वच्छता से संबंधित एक प्रण के तहत अपना शौचालय खुद साफ - करने का निर्णय लिया था| गांधीजी के साफई से संबंधित इन्हीं आदर्शों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री सफा- नरेन्द्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर2 अक्तूबर 2014 को 'स्वच्छ भारत मिशन ' की शुरुआत की जो महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण की ओर बढ़ा एक और कदम है।

प्रमुख बिंदु

- इस मिशन को शहरी तथा ग्रामीण (सरकार के विशालतम स्वच्छता कार्यक्रम का हिस्सा हैजो केंद्र) मिशन के रूप में विभाजित किया गया है।
- इस मिशन का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्तूबर, 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है।
- स्वच्छ भारत मिशन की (शहरी)कमान शहरी विकास मंत्रालय को दी गई है और 4041 वैधानिक कस्बों में रहने वाले 377 लाख व्यक्तियों तक स्वच्छता हेतु घर में शौचालय की सुविधा प्रदान करने का काम सौंपा गया है।
- इसमें पाँच वर्षों में करीब 62009 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है, जिसमें केन्द्र सरकार 14623 करोड़ रुपए की राशि सहायता के तौर पर उपलब्ध कराएगी।
- इस मिशन के अंतर्गत 1.04 करोड़ घरों को लाना है जिसके तहत 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय सीटें उपलब्ध कराना, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय सीटें उपलब्ध कराना तथा सभी शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा मुहैया करना है।

शहरी मिशन

- शहरी मिशन के तहत खुले में शौच को समाप्त करना, अस्वास्थ्यकर शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा का विकास करना है।
- इस मिशन के तहत लोगों को खुले में शौच के हानिकारक प्रभावों, बिखरे कचरे से पर्यावरण को होने वाले खतरों आदि के बारे में शिक्षित कर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने पर विशेष ज़ोर दिया जाता है।
- इन उद्देश्यों को पूरा करने में शहरी स्थानीय निकायों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही इसमें निजी क्षेत्र की भी भागीदारी ली जा सकती है।

ग्रामीण मिशन

- ग्रामीण मिशन, जिसे स्वच्छ भारत के नाम से जाना जाता है (ग्रामीण), का उद्देश्य 2 अक्तूबर, 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करना है।
- इस मिशन की सफलता के लिये गाँवों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के साथसाथ - निजी भागीदारी से क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना भी शामिल है।-सार्वजनिक

- ग्रामीण मिशन के तहत 1 अक्तूबर, 2014 से 1 अगस्त, 2016 तक 210.09 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- इसी अवधि में स्वच्छता का दायरा 42.05 प्रतिशत से बढ़कर 53.60 प्रतिशत तक पहुँच गया है।
- गाँव के स्कूलों में गन्दगी और मैले की स्थिति को देखते हुए, इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं के साथ शौचालयों के निर्माण पर विशेष ज़ोर दिया जाता है।
- सभी ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी शौचालय और ठोस तथा तरल कचरे का प्रबंधन इस मिशन की प्रमुख विषयवस्तु है।-
- नोडल एजेंसियाँ ग्राम पंचायत और घरेलू स्तर पर शौचालय के निर्माण और उपयोग की निगरानी करेंगी।
- ग्रामीण मिशन के तहत 134000 करोड़ की लागत से 11.11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।

  व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के प्रावधान के तहत, बीपीएल और एपीएल वर्ग के ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक शौचालय के लिये क्रमश :9000 और 3000 का प्रोत्साहन, निर्माण और उपयोग के बाद दिया जाता है।

  उत्तरपूर्व के राज्यों-, जम्मूकश्मीर तथा विशे-ष श्रेणी के क्षेत्रों के लिये यह प्रोत्साहन राशि क्रमश :10800 और 1200 है।

  स्वच्छ भारत मिशन के 6 प्रमुख घटक हैं-

  1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
  2. सामुदायिक शौचालय
  3. सार्वजनिक शौचालय
  4. नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
  5. सूचना और शिक्षित संचार और सार् (आईईसी)वजनिक जागरूकता
  6. क्षमता निर्माण

कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है, परिणाम उम्मीद से अधिक हैं। आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2014-15 में 5854987 शौचालयों का निर्माण किया गया, जबकि लक्ष्य 50 लाख शौचालयों का ही था। इसमें निर्धारित लक्ष्य के 117 प्रतिशत तक सफलता हासिल हुई है। 2015-16 में 127.41 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है जो निर्धारित लक्ष्य से 120 लाख ज़्यादा है। 2016-17 में लक्ष्य 1.5 करोड़ रखा गया और इसमें 1 अगस्त, 2016 तक 3319451 शौचालयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा बाकी के लिये भी तेज़ी से काम चल रहा है।

निष्कर्ष

इस सफाई अभियान से संबंधित राज्य स्तरीय कार्यशालाओं द्वारा अलगअलग राज्यों में कार्य किया जा रहा है। - केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय उसके प्रतिनिधियों के राज्यों का दौरा करने और समन्वय बैठकों में भाग लेने से बढ़ा है।यह जिलाधिकारियों, सीईओ, जिला पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्षों के संयुक्त प्रयासों का प्रतिफल है। हालाँकि, स्वच्छता की कार्यप्रणाली में क्या व्यावहारिक परिवर्तन हुआ है, अंततः यही मायने रखता है। किन्तु, फिर भी हम कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन सही रास्ते पर अग्रसर है। निश्चित ही, यह शुरुआत सरकार द्वारा संचालित बहुत से कार्यक्रमों व योजनाओं को समाहित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है |

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

परिचय

समावेशी विकास के लिए कौशल विकास

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की उम्र के बीच के 5.50 करोड़ संभावित कामगार हैं। इससे भारत के लिए अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को एक जनसांख्यिक लाभांश के रूप में परिणत करने का एक ऐतिहासिक अवसर सामने आ रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता का विकास के बल पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के कार्यान्वयन से देश के समावेशी विकास के लिए इस राष्ट्रीय एजेंडे पर जोर दिया है।

आधुनिक बाजार में भारत के ग्रामीण निर्धनों को आगे लाने में कई चुनौतियां हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा और बाजार के अनुकूल कौशल की कमी होना। विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, वित्तपोषण, रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देने, रोजगार स्थायी बनाने, आजीविका उन्नयन और विदेश में रोजगार प्रदान करने जैसे उपायों के माध्यम से डीडीयू-जीकेवाई इस अंतर को पाटने का काम करती है।

योजना की विशेषताएं

- लाभकारी योजनाओं तक निर्धनों और सीमांत लोगों को पहुंचने में सक्षम बनाना
- ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित नि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करनाशुल्क:
- समावेशी कार्यक्रम तैयार करना
- सामाजिक तौर पर वंचित समूहों अजजा/अजा)50 प्रतिशत, अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत, महिला 33 प्रतिशतको (अनिवार्य रूप से शामिल करना।
- प्रशिक्षण से लेकर आजीविका उन्नयन पर जोर देना
- रोजगार स्थायी करने, आजीविका उन्नयन और विदेश में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से पथप्रदर्शन के उपाय - करना।
- नियोजित उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त सहायता
- नियोजनतपश्चा- सहायता, प्रवास सहायता और पूर्वछात्र नेटवर्क तैयार करना।-
- रोजगार साझेदारी तैयार करने की दिशा में सकारात्मक पहल
- कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए रोजगार की गारंटी करना।
- कार्यान्वयन साझेदारों की क्षमता बढ़ाना
- प्रशिक्षण सेवा प्रदान करने वाली नई एजेंसियां तैयार करके कौशल विकास करना।
- क्षेत्रीय तौर पर जोर देना
- जम्मू(हिमायत) रकश्मी-, पूर्वोत्तर क्षेत्र और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 27 जिले में निर्धन ग्रामीण (रोशिनी) अधिक जोर देना। युवाओं के लिए परियोजनाओं पर
- स्तरीय सेवा वितरण
- कार्यक्रम से जुडी सभी गतिविधियां स्तरीय संचालन प्रक्रिया पर आधारित होंगी जो स्थानीय निरीक्षकों द्वारा बताए जाने के लिए नहीं हैं। सभी प्रकार के निरीक्षण भूतिक प्रमाणस्थै-, समय के विवरण सहित वीडियो रों द्वारातस्वी/ त होंगे।समर्थि

कार्यान्वयन प्रारूप

डीडीयू-जीकेवाई एक तीन-स्तरीय कार्यान्वयन प्रारूप का अनुसरण करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय इकाई एक नीति निर्माता, तकनीकी सहायक और सुविधा एजेंसी के रूप में काम करती है। डीडीयू-जीकेवाई के राजकीय मिशन कार्यान्वयन सहायता प्रदान करते हैं और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां कौशल प्रदान करने और रोजगार परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती हैं।

परियोजना वित्तपोषण सहायता

डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से कौशल प्रदान करने वाली परियोजनाओं से जुड़े रोजगार के लिए वित्तपोषण सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे प्रतिव्यक्ति 25,696 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक वित्तपोषण सहायता के साथ बाजार की मांग का समाधान किया जाता है, जो परियोजना की अवधि और आवासीय अथवा गैर-आवासीय परियोजना पर आधारित है। डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से 576 घंटे (तीन माह) से लेकर 2304 घंटे (बारह माह) की अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण किया जाता है

वित्तपोषण संबंधी घटकों में प्रशिक्षण के खर्च, रहने और खाने-पीने, परिवहन खर्च, नियोजन पश्चात सहायता खर्च, आजीविका उन्नयन और स्थाई रोजगार सहायता संबंधी खर्च में सहायता देना शामिल हैं।

परियोजना वित्तपोषण में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को प्राथमिकता

- विदेश में रोजगार
- कैप्टिव रोजगार कताओं कोयन एजेंसी अथवा संगठन जो मौजूदा मानव संसाधन आवश्यऐसे परियोजना कार्यान्व :
  पूरा करने के लिए कौशल प्रशिक्षणप्रदान करते हैं।
- औद्योगिक प्रशिक्षण प्रशिक्षणों के लिए सहायता प्रदान करना।पोषण के साथ विभिन्नवित्त-उद्योगजगत से सह :
- अग्रणी नियोक्ता यन एजेंसियां जोऐसी परियोजना कार्यान्व :2 वर्षों की अवधि में कम से कम 10,000 डीडीयू-केवाई प्रशिक्षुओं के कौशल प्रशिकजी्षण और नियोजन का आश्वासन देती है।
- उच्च ख्याति वाली शैक्षिक संस्था की (एनएएसी) ता परिषदकन और मान्यय मूल्यांन जो राष्ट्रीऐसे संस्था :
  नतमन्यू3.5 ग्रेडिंग वाले हैं अथवा ऐसे सामुदायिक महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअखिल भारतीय / तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वित्तपोषित हों और डीडीयूक जीकेवाई परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए इच्छु-हों।

प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं

डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से खुदरा, आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण, स्वचालित, चमड़ा, बिजली, प्लम्बिंग, रत्न और आभूषण आदि जैसे अनेक 250 से भी अधिक ट्रेडों में अनेक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण किया जाता है। केवल मांग-आधारित और कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को रोजगार देने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का शासनादेश है।

प्रशिक्षण गुणवत्ता आश्वासन

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009 के माध्यम से भारत एक ऐसे राष्ट्रीय योग्यता कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत पर बल देता है, जो सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों को प्रशिक्षण से जोड़ता है। तद्नुसार, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यक्रम (एनएसक्यूएफ) अधिसूचित किया है ताकि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रणाली विकसित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनायोग्य योग्यता प्रणाली विकसित की जा सके।

मापन और प्रभाव

डीडीयू-जीकेवाई पूरे देश में लागू है। फिलहाल यह योजना 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 610 जिले में कार्यान्वित की गई है। इसमें 50 से अधिक क्षेत्रों से जुड़े 250 से अधिक ट्रेडों को शामिल करते हुए 202 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की साझेदारी है। अब तक वर्ष 2004-05 से लेकर 30 नवंबर 2014 तक कुल 10.94 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 8.51 लाख उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया गया है।
स्त्रोत- श्री एल सी गोयल (ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव),पत्र सूचना कार्यालय,भारत सरकार

दीनदयाल अंत्योदय योजना

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना करना तथा इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी समाप्त करना तथा आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को राज्यों के सहयोग से लागू किया गया है। इस मिशन को 2011 में लॉच किया गया था। पिछले तीन वर्षों में इस मिशन का तेजी से विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 820 अतिरिक्त प्रखंडों को इस योजना से जोड़ा गया है। यह मिशन 29 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों के 586 जिलों के अंतर्गत 4,459 प्रखंडों में लागू किया गया है।

सामुदायिक संस्थान का निर्माण

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पूरे देश में 6.96 लाख स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से 82 लाख परिवारों को जोड़ा गया। 40 लाख स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से 4.75 करोड़ महिलाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया। इन सामुदायिक संस्थानों को 4,444 करोड़ रुपये की धनराशि परिव्यय हेतु आवंटित की गई।

वित्तीय समावेश

वित्तीय समावेश रणनीति के तहत मिशन, एसएचजी को बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), वित्त सेवा विभाग (डीएफएस) तथा भारतीय बैंक महासंघ (आईबीए) के साथ मिलकर कार्य करता है। एसएचजी को दिया जाने वाला ऋण जो वित्त वर्ष 2013-14 में 22,238 करोड़ रुपये था, बढ़कर फरवरी, 2018 में 64,589 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वयं-सहायता समूहों-एसएचजी को कुल मिलाकर 1.55 लाख करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है। मिशन प्रारंभ होने के पूर्व बैंकों का फंसा कर्ज (एनपीए) 23 प्रतिशत था, जो चालू वर्ष में घटकर 2.4 प्रतिशत हो गया।

सुदूर क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं

वित्तीय सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक उपलब्ध कराने में भी मिशन को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। स्वयं-सहायता समूहों के 1518 सदस्यों को बैंक एजेंट के रूप में कार्य करने का मौका दिया गया है। ये एजेंट वित्तीय सेवा जैसे धनराशि जमा करना या निकालना, पेंशन, छात्रवृत्ति का भुगतान करना, मनरेगा पारिश्रमिक का भुगतान करना आदि उपलब्ध कराते है। फरवरी, 2018 तक 1.78 लाख स्वयं-सहायता समूहों के सदस्यों ने इन बैंक एजेंटों के माध्यम से 8.9 लाख लेनदेन के कार्य किये, जिनका मूल्य 187.92 करोड़ रुपये है।

ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। इससे ऋण का ब्याज भुगतान सात प्रतिशत प्रति वर्ष हो जाता है। इसके अलावा 250 जिलों में समय पर ऋण भुगतान की स्थिति में ब्याज में तीन प्रतिशत की अतिरिक्त कमी की जाती है। इससे प्रभावी ब्याज दर चार प्रतिशत वार्षिक हो जाती है। ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता के तौर पर कुल 2,324 करोड़ रुपये की धनराशि का परिव्यय किया गया है।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना और मूल्यवर्द्धन श्रृंखला

कृषि-पर्यावरण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मिशन ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लागू किया है, जो महिला किसानों की आमदनी को बढ़ाएगा और कृषि लागत तथा जोखिम में कमी लाएगा। इस योजना के तहत 33 लाख महिला किसानों को सहायता उपलब्ध कराई गई हैं (मार्च-2018)। मूल्यवर्द्धन गतिविधियों के अंतर्गत कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, वन उत्पाद (गैर-काष्ठ) आदि को शामिल किया गया हैं। छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाये जाने वाली फसल जैसे मक्का, आम, फूल की खेती, डेयरी आदि को मूल्यवर्द्धन गतिविधियों में शामिल किया गया है। फरवरी-2018 तक 1.05 लाख स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इन गतिविधियों से जोड़ा गया है।

सामुदायिक आजीविका

मिशन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है-समुदाय आधारित कार्यान्वयन। इसके लिए 1.72 लाख सामुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे सामुदायिक संस्थानों को सहायता प्रदान कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में लेनदेन का हिसाब रखने, क्षमता निर्माण करने, वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया हैं। इसमें 22 हजार सामुदायिक आजीविका संसाधन व्यक्ति (सीएलपीआर) जैसे कृषि सखी, पशु सखी शामिल हैं, जो चौबीसों घंटे सेवा उपलब्ध कराते है।

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम तथा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

गैर कृषि आजीविका रणनीति के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) तथा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) लागू कर रही है। एसवीईपी का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण उद्यमियों की सहायता करना है। इस योजना के तहत 17 राज्यों में लगभग 16,600 उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है। इससे 40 हजार लोगों को रोजगार मिला है।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) को अगस्त 2017 में लॉच किया गया था। इसका उद्देश्य सुदूर गांवों को ग्रामीण परिवहन व्यवस्था से जोड़ना है। मार्च 2018 तक 17 राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और 288 वाहन संचालन में हैं।

CENTRE FOR AMBITION
IAS AGRA PCS